

21/05  
24

सुकराम



वादी सुकराम के विशाल प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज  
सुनवाई पर ली गई। वादी व उसके अधिवक्ता ने प्रा.फा  
पेश कर जरिये विशाल वाद को खारिज किये जाने का  
निवेदन किया। चूंकि वादी व उसके अधिवक्ता वाद को  
चलाना नहीं चाहते हैं। अतः O-23, R-1 CPC के प्रोविसो  
अनुसार वाद वादी जरिये विशाल प्रार्थना पत्र खारिज किया  
जाता है। पत्रावली रॉकल नंबर से क्रम

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली